

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर



जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :- 0141-2222403, ई-मेल:-dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/ 17/4700 - 4890

दिनांक :- 30.08.2017

1. आयुक्त, नगर निगम समस्त।
2. आयुक्त, नगर परिषद समस्त।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका समस्त।

विषय :- सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव एवं Cleanliness की सुनिश्चिता के सम्बन्ध में।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) अन्तर्गत राज्य की निकायों को खुले में शौच से मुक्ति हेतु सामुदायिक शौचालयों एवं सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है। पूर्व में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के साथ-साथ 5 वर्ष के रखरखाव (Operation & Maintenance) का प्रावधान लिया जाकर शौचालयों की सामान्य साफ सफाई की सुनिश्चिता की जानी है।

आपकी निकाय में उपलब्ध शौचालयों की सूची एवं Toilet locator के माध्यम से Location identify करने की व्यवस्था की जा सकती है साथ ही शौचालयों पर Citizen feedback हेतु Device भी लगाया जा सकता है। जिससे शौचालय उपयोग करने वालों का Feedback रिकार्ड हो सके। शौचालयों के उपयोग एवं साफ-सफाई हेतु IEC गतिविधियाँ भी की जावें। जिसमें निम्न गतिविधियाँ प्रमुखतया की जा सकती हैं :-

- (i) आईईसी गतिविधियों अन्तर्गत गोष्ठी, मानव श्रृंखला, नुक्कड़ नाटक का आयोजन, जिसमें माननीय राजनेताओं, महिलाओं, बच्चों को सम्मिलित किया जावे।
- (ii) जिला स्तर, निकाय स्तर एवं वार्ड स्तर पर स्पेशल इवेंट का आयोजन कर स्थानीय स्तर पर Sanitation Champions (SI/Toilet Incharge) को सम्मानित करने Screening of films/Sports/Success Stories इत्यादि को जागरूकता अभियान के रूप में किया जावे।
- (iii) Speeches/Quiz आदि कार्यक्रम आयोजित किये जावे जिसमें मुख्यतया विद्यार्थियों एवं युवाओं को सम्मिलित किया जावे।

सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों के साफ-सफाई इत्यादि के बारे में उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी के मोबाईल नम्बर भी शौचालयों पर लिखे जावे तथा हेल्पलाईन नम्बर भी दिये जावे, जिससे आम नागरिक शौचालयों के बारे में Feedback दे सके।

अतः आप कृपया अपने अपने क्षेत्र में सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों के उपयोग एवं शौचालयों की समुचित साफ सफाई हेतु जनजागरण अभियान के माध्यम से कार्यवाही सुनिश्चित करवावे, जिससे की शौचालयों का समुचित उपयोग हो सकें।



(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक :- 30.08.2017

क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/17/4891 - 5127

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (SBM), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110011
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन, निदेशालय।
5. निजी सचिव, महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
6. जिला कलेक्टर समस्त राजस्थान।
7. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
8. प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. टीमलीडर, PMU स्वच्छ भारत मिशन, जयपुर।
10. सुरक्षित पत्रावली।



(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता